बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 236046 पटना, दिनांक 30/06/15

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(लक्ष्य)-102-19/2013

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2013-14 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत अतिरिक्त भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत लाभुकों के इंदिरा आवास पूर्ण कराने हेतु राशि की अधियाचना के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत होंगे कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के आरंभ में भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इंदिरा आवास योजनान्तर्गत संसूचित 6,05,550 भौतिक लक्ष्य के आधार पर विभाग स्तर से जिलावार लक्ष्य का निर्धारण करते हुए विभागीय पत्रांक-147943 दिनांक-14.05.13 द्वारा सूचित किया गया था । बाद में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य को 1,26,755 अतिरिक्त लक्ष्य दिये जाने की प्राप्त सूचना के आधार पर पुन: विभागीय पत्र संख्या-166022 दिनांक-09.10.2013 द्वारा जिलावार लक्ष्य को संशोधित कर सूचित किया गया था ।

यद्दपि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उक्त अतिरिक्त लक्ष्य के विरूद्ध जिलों को निधि की विमुक्ति नहीं की गयी किन्तु फिर भी कतिपय जिलों द्वारा विभाग के संज्ञान में लाया जा रहा है कि जिला के लिए संशोधित लक्ष्य के आधार पर जिलान्तर्गत मूल लक्ष्य से अधिक लाभुकों को जिला में उपलब्ध निधि से प्रथम किश्त की सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा अब निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण करने हेतु लाभुकों को देय राशि का भुगतान अवरूद्ध है ।

विदित है कि इंदिरा आवास योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत वर्ष 2014-15 तक व्यय भार का वहन केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के आधार पर किया जाना है । अतएव वर्ष 2013-14 में संशोधित लक्ष्य के आलोक में मूल लक्ष्य से अतिरिक्त जितने लाभुकों को प्रथम किश्त की राशि का भुगतान किया गया है उनके लिए केन्द्रांश की राशि प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा ।

अत: वर्ष 2013-14 संशोधित लक्ष्य के आलाके में मूल लक्ष्य से अतिरिक्त जितने लाभुकों को प्रथम किश्त की राशि का भुगतान किया गया है उनके लिए केन्द्रांश की राशि प्राप्त किये जाने के निमित्त निम्न प्रपत्र में प्रतिवेदन दिनांक 05.07.2015 तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ताकि समेकित प्रस्ताव भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा जा सके । यदि उक्त तिथि तक आपका प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होगा तो यह मान लिया जायेगा कि जिलान्तर्गत यह मामला नहीं है ।

विश्वासभाजन

29.6.15

(प्रदीप कुमार)
सरकार के सचिव

प्रपत्र

जिला का नाम :-

क्र0 सं0	वर्ष 2013-14 का मूल लक्ष्य	वर्ष 2013-14 का संशोधित लक्ष्य	वर्ष 2013-14 में लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत इंदिरा आवास की सं0	वर्ष 2013-14 में मूल लक्ष्य के अतिरिक्त कितने लाभुकों को प्रथम किश्त की राशि का भुगतान किया गया	वर्ष 2013-14 में मूल लक्ष्य के अतिरिक्त लाभुकों को प्रथम किश्त के रूप में भुगतान की गई राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7